

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2008—आश्विन 11, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-49/2006/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1), सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

संशोधन नियमों में :-

अनुसूची दो के क्रमांक 29, 40, 45, 48, 49 एवं 51 के स्तम्भ- (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाए, अर्थात् :-

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं (3)
29	ड्रायवर	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा शासन द्वारा जारी लाईट एवं हेवी मोटर वीकल ड्रायविंग लाईसेंस उत्तीर्ण.

(1)	(2)	(3)
40	पम्प अटेंडेन्ट	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
45	फिल्टर अटेंडेन्ट	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
48	भूत्य	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण
49	चौकीदार/वाचमेन	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण
51	सफाई कामगार	साक्षर होना चाहिए

Raipur, the 3rd October 2008

NOTIFICATION

No. F 4-49/18/2006.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (1) of Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Conditions of Service of Officers and Servants) Rule, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

For entries of column (3) of serial numbers (29), (40), (45), (48), (49) & (51) of schedule-II, the following entries shall be substituted, namely :-

Sl. No. (1)	Name of the Post (2)	Prescribed Educational Qualification (3)
29	Driver	Pass 8th Class and Possess Light and Heavy motor vehicle driving license issued by Government.
40	Pump Attendant	Pass 8th Class
45	Filter Attendant	Pass 8th Class
48	Peon	Pass 5th Class
49	Chaukidar/Watchmen	Pass 5th Class
51	Safai Kamgar	Should be literate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.